(घ) क्या सरकार ने इस तरह का अवैध व्यापार करने वाले व्यापारियों तथा उत्पादन कर विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के नामों की सूची तैयार की है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) और (ख) सीमाशुल्क विभाग द्वारा प्राप्त आसूचना और किए गए अभिग्रहणों से यह पता चलता है कि सोना उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी हिस्सों में हवाई मार्ग, समुद्री मार्ग, अथवा स्थल मार्ग से तस्करी के लिए एक नाजुक वस्तु बनी हुई है । हालांकि अभिगृहीत सोने में से अधिकांश सोना खाड़ी के देशों से आता है, फिर भी यह देखने में आया है कि हांगकांग, सिंगापुर, बैंकाक और खाड़ी के देशों से अवैध सोना सीधे हवाई मार्ग से अथवा नेपाल, बांग्लादेश, और पाकिस्तान के रास्ते होकर हमारी भू-सीमाओं को लांघ कर भारत में लाया जाता है। भारत में अवैध रूप से लाए गए निषिद्ध सोने को मुख्यतः देहमान सर्राफों और सोने के व्यापारियों द्वारा देश भर में वितरित/बेचा जाता है ।

(ग) वर्ष 1985 के दौरान, भारत में सोने की तस्कर-आयात करने वाले और तस्करी के सोने का धन्धा करने वाले 11* व्यक्तियों को सीमाशुल्क अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश राज्य में गिरफ्तार किया गया था ।

(घ) और (ङ) सीमाशुल्क विभाग उन व्यक्तियों का उचित रिकार्ड और उन पर कड़ी निगरानी रखता है जो तस्करी की गतिविधियों और सोने के गैर-कानूनी धन्धे में लगे पाए जाते हैं । तस्करी-रोधी अभियान को सामान्यतया संपूर्ण देश में तेज कर दिया गया है, लेकिन हमारी भू-सीमाओं और समुद्र-तटों के तस्करी के लिये अति सुगम्य क्षेत्रों पर खास जोर दिया गया है । इसके अलावा, तस्करी की गतिविधियों में अंतर्ग्रस्त व्यक्तियों के खिलाफ विभागीय तौर पर और न्यायालयों में अभियोजनों के जरिए सख्त कार्रवाई की जाती है । अधिगृहीत सोने की जब्ती और वैयक्तिक अर्थ-दण्डों के अलावा, समुचित मामलों में विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण अधिनियम के तहत निवारक नजरबंदी की कार्यवाही भी की जाती है ।

सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग में भ्रष्टाचार-विरोधी कार्य सीमाशुल्क और उत्पादन शुल्क विभाग की सतर्कता शाखा और केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंपा जाता है । जब कभी किसी विभागीय अधिकारी/कर्मचारी के बारे में यह पता चलता है वह भ्रष्टाचार/अवचार संबंधी काम करता है, तो उसके खिलाफ कानून के तहत समुचित कार्रवाई की जाती है ।

*ये आंकड़े अनन्तिम हैं ।

Frauds and robberies in banks

*79. SHRI SHANKER SINH VAGHELA:

SHRI KAILASH PATI MISHRA:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the total amount involved in frauds and robberies in the nationalised banks during each of the last three years and so far during the current year;

(b) whether such incidents and the amount involved are increasing each year in spite of the additional security steps being taken on the advice of the Reserve Bank of India and Government after continuously analysing each new episode; and

(c) if so, what further steps are proposed in this direction?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) to (c) Information regarding the total amount involved in frauds and robberies in public sector banks during 1983, 1984, 1985 and during the current year, to the extent available, as reported by Reserve Bank of India, is given in the enclosed statement (*See below*).

Bank robberies/dacoities, to a considerable extent, depend on the general security environment in the locality. Banks, however, have been taking steps to improve their security arrangements so as to offer as little inducement to miscreants, to rob banks and also to deter them. Security measures implemented by public sector banks are being reviewed from time to time and whenever further improvements are considered necessary, requisite guidelines instructions are given to the banks. Depending on the risk factor involved, steps have been taken to appoint security guards, instal appropriate alarm systems, etc., in branches. Further, in order to motivate bank employees, the general public and the Police to resist robbers/dacoits, a scheme of rewards has been announced.

Statement

Figures of frauds and bank robberies within India in respect of public sector banks for the years 1983, 1984, 1985 and for 1986 to the extent available

I. CASES OF FRAUDS:—

Year	No. of cases	Amount involved (Rs. in crores)
1983	2360	29·75
1984	2410	45·18
1985	2157	53·49
1986 (up to 31-3-86)	250	10·48

(i) The amount shown involved does not represent the actual loss which the banks may ultimately suffer, since the bank generally hold some securities to cover advances and also file civil and criminal complaints for obtaining appropriate relief. Apart from this, they also normally have insurance cover.

(ii) The case of fraud mentioned against a particular year depends on the date of reporting the case to RBI and not the year in which it was actually perpetrated.

II. CASES OF ROBBERIES/DACOITIES—

Year	No. of cases	Amount involved (Rs. in lakhs)
1983	78	94·49
1984	77	130·40
1985	76	165·21
1986 (up to 30-6-86)	54	145.53